संख्या : 13/22/1993–का–1/2004

प्रेषक,

प्रदीप शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक 27 अक्टूबर, 2004

विषय–संतोषजनक सेवा का निर्धारण।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–761/कार्मिक–1/2003, दिनांक 30 जून, 1993 में विभिन्न प्रकृति के सेवा सम्बंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु संतोषजनक सेवा के निर्धारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित कतिपय मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 के उप-प्रस्तर (2) का खण्ड (ब) निम्नवत् है :–

"यदि उस अवधि में, जिसके सेवा अभिलेख उपर्युक्तानुसार विचार-क्षेत्र में आते हैं, किसी वर्ष की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न की गयी हो, परन्तु अनुवर्ती समस्त वर्षों (जिसकी संख्या कम से कम 05 अवश्य हो) की सत्यनिष्ठा लगातार प्रमाणित की जाती रही हो तो केवल उस एक वर्ष की अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के आधार पर सेवाओं को असंतोषजनक न माना जाए।"

2–राज्याधीन सरकारी सेवकों की सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र को रोके जाने अथवा सत्यनिष्ठा को प्रमाणित/अप्रमाणित किए जाने के सम्बन्ध में समय समय पर तद्विषयक शासनादेश निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेशों के अनुसार सत्यनिष्ठा को अप्रमाणित किए जाने की कार्यवाही सकारण आदेश के माध्यम से ही किया जाना नियमानुकूल होता है। किन्तु, यह अनुभव किया गया है कि कतिपय कार्मिकों की सत्यनिष्ठा कारणों को इंगित किए बिना ही अप्रमाणित/संदिग्ध कर दी जाती है, जो सर्वथा अनुचित है।

3–अतः, वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरांत सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र को रोके जाने अथवा सत्यनिष्ठा को प्रमाणित/अप्रमाणित किए जाने हेतु लिए गए निर्णयानुसार संदर्भगत् शासनादेश दिनांक 30 जून, 1993 के प्रस्तर-2 के उप-प्रस्तर (2) के खण्ड (ब) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

"(क) यदि सम्बंधित कार्मिक की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित किया जाना हो तो तद्नसुार स्पष्ट उल्लेख करते हुए सत्यनिष्ठा को प्रमाणित किया जाए।

(ख) यदि सम्बंधित कार्मिक की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में कोई दुविधा हो अथवा सत्यनिष्ठा को प्रमाणित किया जाना संभव न हो तो प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा कारण उल्लिखित करते हुए तद्विषयक एक टिप्पणी पृथक से प्रविष्टि के साथ संलग्न की जाए, ताकि उसके आधार पर सम्बन्धित अधिष्ठान द्वारा सम्बन्धित कार्मिक की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में यथावश्यक अग्रतर कार्यवाही संपादित की जा सके।

(ग) यदि सम्बन्धित प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी अंकित नहीं की जाती है और सत्यनिष्ठा सम्बन्धी कालम को रिक्त छोड़ा जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक की सम्बन्धित अवधि की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित समझा जाएगा।"

4–अनुरोध है कि संदर्भगत् शासनादेश दिनांक 30 जून, 1993 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 25 मार्च, 1994 में निर्धारित सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों को उपर्युक्त प्रस्तर-3 के साथ पढ़ा जाए व उनका कृपया सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
प्रदीप शुक्ला,
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–13/22/1993(1)–का–1/2004, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
बी० एन० दीक्षित,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 23 सा० नियुक्ति–25.11.2004–(1709)–2,000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।